संख्या -17/फोना 1/84-2-2014-सीपी-7/2013

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 9 जनवरी, 2014

विषय प्रदेश के विभिन्न जिला उपभोक्ता फोरमों में रिक्त हुए/हो रहे अध्यक्ष, सामान्य सदस्य एवं महिला सदस्य के पदों पर चयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3450/एससीडीआरसी/यू.पी./अधि. 100/13, दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में शासन में प्राप्त निम्नलिखित प्रार्थना पत्र/मा0 जनप्रतिनिधियों के पत्र आदि जिनकी शासन में प्राप्ति की तिथि उक्त पत्रों पर अंकित है, को मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें :-

सामान्य सदस्य, जिला फोरम

क्र0 स0	नाम एवं पता	आवेदित जिला फोरम का नाम
1	श्री राकेश कुमार यादव, एडवोकेट, सिविल लाइन्स, बलिया को जिला उपभोक्ता फोरम, देवरिया में सदस्य पद पर नामित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 खाद्य एवं रसद मंत्री जी को सम्बोधित श्री राम गोविन्द चौधरी, मा0 मंत्री,बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन का पत्र दिनांक 16.12.2013	देवरिया
2	श्री वीरेन्द्र कुमार रस्तोगी, एडवोकेट, सिविल लाइन्स, सम्भल को जिला उपभोक्ता फोरम, सम्भल में सदस्य पद पर नामित किये जाने विषयक मा0 मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित श्री इकबाल महमूद, मा0 राज्यमंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, किराया नियंत्रण विभाग, उ0प्र0 का पत्र दिनांक 10.12.2013 (मा0 मुख्यमंत्री संदर्भ संख्या एस/पीजीओ 1394105/सी0एम0-1/2013, दिनांक 20.12.2013)	सम्भल

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in